

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

म०प्र० मोपाल ।

अपसेट प्राईज के निर्धारण के संबंध में वित्तीय अधिकार में वृद्धि किये जाने बाबत ।

मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक /समिति/1/97/7 दिनांक 21-01-97 ।

--00--

राष्ट्रीयकृत वनोपज अंतर्विभागीय समिति की 352 वीं बैठक दिनांक 05-03-2008 (अ.प्र.मु.व.रा.उ.) के विषय में किये गये निर्णय के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी, अराष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी, जलाऊ बांस के बाजार मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप अपसेट प्राईज निर्धारण संबंधी प्रत्यायोगिता वित्तीय एवं शेष मूल्य निर्धारण हेतु वित्तीय अधिकारों में वृद्धि करने की, राज्य शासन एतद द्वारा निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करता है :-

- वन संरक्षक - सम्पूर्ण अधिकार
- वन मंडलाधिकारी - 1. राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी तथा बांस के प्रति लॉट के लिये रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख)
- 2. शेष सभी प्रकार की इमारती लकड़ी, समस्त प्रकार की जलाऊ लकड़ी एवं कोयले के प्रति लॉट के लिये रु. 60,000/- (रु. साठ हजार)
- हायक वन संरक्षक - 1. राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी तथा बांस के प्रति लॉट के लिये रु. 20,000/- (रु. बीस हजार)
- 2. शेष सभी प्रकार की इमारती लकड़ी, समस्त प्रकार की जलाऊ लकड़ी एवं कोयले के प्रति लॉट के लिये रु. 10,000/- (रु. दस हजार)

म०प्र० के राज्यांगल के नाम से तथा आदेशानुसार



(डॉ०आर.के.गुप्ता)

पदेन अपर सचिव

म०प्र० शासन, वन विभाग

मोपाल दिनांक 03-04-2008

सं.सं/समिति/352/ 3249

लिपि-

प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन वन विभाग

म. प्रेम्नाकार (क्रमांक एक) म०प्र० ग्वालियर को (समिति की बैठक दिनांक 05-03-2008 में प्रस्तुत विषय पर संदर्भित टीप एवं कार्यवाही विवरण के उद्धरण की प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रहित ।

(डॉ०आर.के.गुप्ता)

पदेन अपर सचिव

म०प्र० शासन, वन विभाग
मोपाल दिनांक 03-04-2008

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including '2338', '4 APR 2008', and various illegible signatures and dates.